संख्या-21/1301/41-2014-244 सा0/13

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1 **महानिदेशक,**
पर्यटन विभाग,
उ0प्र0।

2 **प्रबन्ध निदेशक,**
उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0,
लखनऊ

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक:: 16 जून, 2014

विषय: <u>प्रदेश में वायुसेवा संचालित करने हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उददेश्य से हवाई सेवा की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिससे प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थित स्थलों पर आसानी से पर्यटकों का आवागमन हो सके। प्रदेश के आकार को देखते हुये इस प्रकार की सेवा से व्यापार एवं अर्थ-व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा तथा प्रदेश के सुदूर स्थानों तक आसानी से आवागमन हो सकेगा। यह सेवा बौद्ध परिपथ में आने वाले पर्यटकों के लिये भी विशेष लाभकारी होगी। इसके अतिरिक्त झांसी, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, बरेली, मेरठ, इलाहाबाद, लखनऊ आदि नगरों को आपस में तथा अन्य पर्यटक केन्द्रों से जोड़ा जा सकेगा।

2- प्रदेश में वायुसेवा संचालन प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी समस्त कार्यो के लिये शासन द्वारा उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 को नोडल विभाग नामित किया गया है । प्रदेश में वायुसेवा को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से राज्य सरकार द्वारा

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रथम चरण में निम्नलिखित मार्गो पर वायुसेवा का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा:-

(1) लखनऊ-इलाहाबाद- लखनऊ	(7) वाराणसी-म्योरपुर- वाराणसी
(2) लखनऊ-आगरा- लखनऊ	(8) मुरादाबाद-इलाहाबाद-मुरादाबाद
(3) लखनऊ-वाराणसी- लखनऊ	(9) मेरठ-इलाहाबाद-मेरठ
(4) लखनऊ-मेरठ- लखनऊ	(10) मुरादाबाद- लखनऊ-मुरादाबाद
(5) लखनऊ-गोरखपुर- लखनऊ	(11) चित्रकूट- लखनऊ-चित्रकूट
(6) लखनऊ-म्योरपुर- लखनऊ	(12) लखनऊ-कुशीनगर- लखनऊ

3- प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त वर्णित मार्गो पर वायु सेवा संचालन हेतु शिडयूल्ड अथवा नान शिडयूल्ड एयर लाइन्स के वायुसेवा प्रदाताओं को निम्नलिखित सुविधा/अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा:-

(1) उत्तर प्रदेश में वायुसेवा संचालन हेतु निर्धारित वायु मार्गो पर रू0 15 प्रति किलोमीट प्रति सीट की दर पर सीट अण्डरराइट किया जायेगा।

(2) किसी भी उड़ान पर उपलब्ध कुल सीटों का अधिकतम 30 प्रतिशत अथवा 6 सीटें (जो भी कम हो) हेतु अण्डरराइट की सुविधा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी। किसी भी उड़ान पर अण्डराइट सीट रिक्त रहने की स्थिति में, जितनी अण्डराइट सीटें रिक्त रह जाती है, उसी के सापेक्ष धनराशि की राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति/अधिकारी की सीट का आरक्षण प्रथमत: अण्डरराइट सीटों के विरूद्ध किया जायेगा। अण्डराइट सीटें समाप्त होने की दशा में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति/अधिकारी खुले बाजार दरों पर भी यात्रा कर सकेगें।

(3) उड़ान के समय अधिकतम 40 हजार किलो भार तक के वायुयान उपयोग करने वाले शिडयूल्ड एअरलाइन्स की भांति ही नान शिडयूल्ड एअरलाइन्स को भी ईंधन पर लगने वाले वैट की दर पर छूट प्रदान की जायेगी, यह 21 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत ही वायुसेवा प्रदाता द्वारा देय होगी। वैट में छूट की सुविधा केवल उन्हीं एअरलाइन्स को प्रदान की जायेगी जिनके द्वारा वायुसेवा परिचालन प्रदेश के अन्दर किया जायेगा अर्थात इन वायुयानों

http://sfa.upnic.in

का टेक ऑफ एवं लैंडिग प्रदेश में स्थित हवाई अडडों/हवाई पटिटयों पर होगी।

(4) राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन वायु पटिटयों पर वायु सेवा प्रदाता को लैंडिंग एवं पार्किंग सुविधा प्रथम तीन वर्ष तक नि: शुल्क प्राप्त होगी।

(5) वायु सेवा प्रदाता द्वारा सेवा संचालन हेतु दो इंजनों से युक्त वायुयान का ही उपयोग किया जायेगा।

(6) शासकीय अधिकारियों को वायु सेवा का उपभोग करने पर सीट अण्डरराइट की दर के बराबर किराया देय होगा, जो अण्डरराइट सीट की उपलब्धता तक ही अनुमन्य होगा। अण्डरराइट सीट की अनुपलब्धता की स्थिति में सरकारी सेवकों को प्रचलित बाजार मूल्य की दर अनुमन्य होगी। उपरोक्त वर्णित शासकीय अधिकारियों से तात्पर्य राज्य सरकार के अधिकारी, प्रदेश के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उद्यम, स्वायत्तशासी संस्थायें, स्थानीय निकायों आदि के कर्मचारी/अधिकारी से हैं, अर्थात इस हेतु वे सभी अधिकारी/ कर्मचारी पात्र होगें जो हवाई यात्रा हेतु अर्ह हों अथवा जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा हवाई यात्रा की अनुमति दी गयी हो तथा जिनका वेतन राज्य सरकार के द्वारा वेतन एवं गैर वेतन मद की अनुदान से आहरित होता हो या वे राज्य सरकार के अधीन किसी सोसाइटी, स्वायत्तशासी संस्था या सार्वजनिक उपक्रम के कार्मिक हों।

(7) प्रदेश में अपटुअर्स, जो उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम का ट्रेवल डिवीजन है, के कार्यालय लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, झांसी में स्थित हैं। वायु सेवा संचालन/टिकटिंग/सीट उपलबधता में पारदर्शिता हेतु वायु सेवा प्रदाता द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले वेब-पोर्टल का संचालन वायु सेवा प्रदाता एवं अपटुअर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा, ताकि अण्डरराइट होने वाली सीटों की सही स्थिति नोडल विभाग की जानकारी में रहे।

(8) वायु सेवा प्रदाता द्वारा वायु सेवा का नियमित संचालन तथा संचालन में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, डी0जी0सी0ए0 एवं प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा निर्धारित सभी मानदण्डों एवं शर्तो के अनुपालन को सुनिश्चित

http://shasanadesh.up.nic.in

कराने हेतु उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 द्वारा संविदा/प्रतिनियुक्ति के आधार पर वायु सेवा संचालन के क्षेत्र में विशेषज्ञता (न्यूनतम अनुभव-5 वर्ष) प्राप्त व्यक्ति की नियुक्ति की जायेगी एवं इस प्रकार नियुक्त विशेषज्ञ को मानदेय/वेतन का भुगतान उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 द्वारा किया जायेगा।

(9) अनुदान के रूप में निर्धारित सीटों की संख्या अलग कोड के रूप में बुकिंग पोर्टल पर दर्शायी जायेगी, जिससे केवल राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति/ शासकीय अधिकारियों की यात्रा हेतु बुकिंग की जायेगी।

(10) शासकीय अधिकारियों द्वारा सरकार द्वारा अनुदानित सीटों के सापेक्ष अलग कोड के रूप में दर्शायी गयी सीटों पर यात्रा हेतु बुकिंग कराते समय शासन द्वारा निर्धारित पहचान पत्र का नम्बर पोर्टल पर देना होगा।

(11) वायु सेवा संचालन में वायु सेवा प्रदाता द्वारा अपने वायुयान के क्रू-मेम्बर तथा यात्रियों और तृतीय पक्ष के लिए समुचित मात्रा में बीमा आदि की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर की जायेगी तथा डी0जी0सी0ए0 द्वारा गठित समस्त नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(12) वायु सेवा संचालन में सुरक्षा सम्बन्धी समस्त प्राविधानों एवं वायुयानों का रख-रखाव वायु सेवा प्रदाता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) वायु सेवा संचालन हेतु वायु सेवा प्रदाता द्वारा पायलट तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति डी0जी0सी0ए0 द्वारा गठित नियमों के अन्तर्गत की जायेगी।

(14) वायु सेवा संचालन में राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन हवाई पटिटयों को छोड़कर शेष अन्य हवाई पटिटयों पर वायुसेवा से सम्बन्धित शुल्क, जैसे लैंडिंग चार्जेज, पार्किंग चार्जेज तथा अन्य एवियेशन चार्जेज वायु सेवा प्रदाता द्वारा वहन किये जायेंगे। एम्बुलेन्स तथा फायर फाइटिंग टेण्डर्स की व्यवस्थाएं ब्यूरो आफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (bcBCASAS) के नाम्स के अनुसार वायुसेवा प्रदाता को स्वयं करनी होगी। फायर बिग्रेड, एम्बुलेंस के लिये पूर्व निर्धारित शुल्क देना होगा तथा सुरक्षा व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. प्रदेश में उपरोक्त नीति प्रथमत: तीन वर्ष के लिये लागू होगी, जिसकी त्रैमासिक समीक्षा हेतु मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी।

5. वायु सेवा संचालन के सम्बन्ध में दि0 01 अगस्त, 2013 को मा0 मंत्रिपरिषद के निर्णय के क्रम में की जा रही कार्यवाही को स्थगित किया जाये।

6. प्रदेश में उपर्युक्त नीति के प्राविधानों में यथावश्यक संशोधन करने एवं वायुसेवा संचालित करने के सम्बन्ध में अग्रेतर आवश्यक निर्णय लेने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

भवदीय,

अमृत अभिजात
सचिव

संख्या-21/1301 (1)/41-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in